

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: 5372

112-1

दिनांक, गोपेश्वर,

05/06/2025

सेवा में,

विषय:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक:- 8बी/यू०सी०पी०/०६/८६/२०२१/एफ०सी० दिनांक 28.05.2025.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में एक बिन्दु में सूचना चाही गयी, जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग की पत्र सं० 1201/10एल०ए० दिनांक 03.06.2025(संलग्न) से आख्या निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:-

क्र०सं०	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा चाही गयी सूचना।	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग द्वारा दी गयी आख्या
1.	<i>During the examination of KML file, it is observed that road widening is not as per the KML submitted and attracts the provision of violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardham) Adhiniyam, 1980. In this connection, user agency is required to submit a detailed justification</i>	उक्त मार्ग के चौड़ीकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/८६/२०२१/एफ०सी०/११४१ दिनांक 06.12.2021 द्वारा प्राप्त है। चूंकि उक्त मार्ग 6.00मी चौड़ाई में पूर्व निर्मित मार्ग है जिसके किमी० 1.00 से 4.500 तथा किमी० 14.500 से किमी० 18.500 में डेढ़ लेन चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है जो कि Existing मार्ग पर ही किया गया है। तथा शेष किमी० में चौड़ीकरण का कार्य केन्द्रीय अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत है जिसका चौड़ीकरण का कार्य केन्द्रीय अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत है जिसका चौड़ीकरण भी Existing मार्ग पर ही किया जाना है। सैद्धान्तिक स्वीकृति से पूर्व जो KML अपलोड की गयी थी वह तत्समय त्रुटिवश गलत अपलोड की गयी है। अतः शेष मार्ग चौड़ीकरण का कार्य Existing मार्ग पर ही किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Email- cepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1201/10 L.A.
सेवा में,

दिनांक 03/06/2025

प्रभागीय वनाधिकारी
दधीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

विषय: - जनपद चमोली में मा. मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विद्यानसमा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 हे. वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रपोजल नं.- FP/UK/ROAD/143929/2021)।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 8 बी./यू.सी.पी./06/86/2021/एफ.सी. दिनांक 28.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त प्रस्ताव संख्या पर निम्न त्रुटि पायी गयी है।

अतः उक्त त्रुटि का निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है-

क्र.सं.	पायी गयी त्रुटि	निराकरण
1	During the examination of KML File, it is observed that road widening is not as per the KML submitted and attracts the provision of violation under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in this connection, usar Agency in required to submit a detail justification.	उक्त मार्ग के चौड़ीकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/86/2021/ एफ0सी0/1141 दिनांक 06.12.2021 द्वारा प्राप्त है। चूंकि उक्त मार्ग 6.00 मीटर चौड़ाई में पूर्व निर्मित मार्ग है जिसके किमी. 01 से 4.500 तथा किमी. 14.500 से 18.500 में डेढ़ लेन चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है जो कि Existing मार्ग पर ही किया गया है तथा शेष किमी. में चौड़ीकरण का कार्य केन्द्रीय अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत है जिसका चौड़ीकरण भी Existing मार्ग पर ही किया जाना है। सैद्धांतिक स्वीकृति से पूर्व जो KML अपलोड की गयी थी वह तत्समय त्रुटिवश गलत अपलोड की गयी है। अतः शेष मार्ग चौड़ीकरण का कार्य Existing मार्ग पर ही किया जाना है।

Signature
31/6/25
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

पत्रांक 110 L.A.

दिनांक / /2025

प्रतिलिपि:- कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता प्रथम को आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग